

सेवामे,

श्रीमान सरपंच महोदय

ग्राम पंचायत.....

पंचायत समिति

विषय:- ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे का रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के अन्तर्गत पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा मेरे नाम से पुस्तक संख्या..... विक्रय विलेख संख्या..... दिनांक को जारी किया गया था। किन्तु मैं उक्त विक्रय विलेख का निर्धारित अवधि मे उप पंजियन कार्यालय से पंजियन नहीं करा पाया। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे विक्रय विलेख का रा. पं.रा. नियम 1996 के नियम 167(क) के अन्तर्गत पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण करने का श्रम फरमाये। जिससे मैं अपने विक्रय विलेख का पंजियन करा सकुं।

संलग्न:-

1. मूल विक्रय विलेख (पट्टा)
2. मूल विक्रय विलेख (पट्टा) फोटो प्रति
3. पट्टा जारी की रसीद
4. आधार कार्ड
5. मतदाता पहचान पत्र

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम

पिता का नाम

जाति.....

निवासी.....

मो. नम्बर.....